राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक 5, पंचम तल, कमरा नं. 601
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2715532
E-mail: adrutrsmsa@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/पूर्व प्राथमिक शिक्षा–एबीएल रूम/2020–21/17752 दिनांक 29-12-2020

प्रबन्धक –

1.मैसर्स हाईटेक डिजिटल प्लेट्स (आई) प्रा. लि. जयपुर।
2.मैसर्स प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर।
3.मैसर्स एन एस पब्लिसिटी इण्डिया प्रा. लि., जयपुर।
4.मैसर्स एल्फैड ग्राफिक्स, जयपुर।
5.मैसर्स प्रयास क्रियेशन्स, जयपुर।
6.मैसर्स जोधाणा मार्केटिंग कम्पनी, जोधपुर।

विषय :– भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों में एबीएल रूम विकसित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– परिषद के कार्यादेश कमांक 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 दिनांक 02.12.2020 एवं पत्रांक 17180 दिनांक 07.12.2020 एवं कार्यालय आदेश कमांक 17320 दिनांक 14.12.2020

उपरोक्त प्रासंगिक विषय में लेख है कि आपके द्वारा तैयार किये गये सैम्पल रूम (आंगनवाडी) के निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आए महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. कुछ डिजिटल वॉल पेण्टिंग चार्ट्स को चस्पा किये जाने में सलवटें पाई गई, जिससे विषय–वस्तु का अस्पष्ट हो जाना संभावित है। अतः उक्त कार्य का सम्पादन प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो एवं विषय–वस्तु स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। इस हेतु अपने कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किये जाने उपरान्त ही फील्ड में उक्त कार्य का सम्पादन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. कुछ सैम्पल रूम में डिजिटल वॉल पेण्टिंग सही कम में एवं निर्धारित ऊँचाई पर नहीं पाई गई, अतः यथासंभव आंगनवाडी केन्द्र हेतु निर्धारित कक्ष में ही डिजिटल वॉल पेण्टिंग संस्थापित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. यदि किसी आंगनवाडी केन्द्र के निर्धारित कक्ष की साईज छोटी हो तो, वॉल पेन्टिंग चार्ट्स को संबंधित आंगनवाडी केन्द्रों/मॉडल स्कूलों में निर्धारित वरीयता अनुसार सर्वप्रथम उक्त कक्ष में ही स्थापित किया जावे तथा शेष वॉल पेण्टिंग चार्ट्स को संबंधित पीईईओ/सीआरसीएफ/संस्थाप्रधान/आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा बताये गये स्थान पर उक्त कक्ष के बाहर या पास ही बरामदे में स्थापित किया जावे। उक्त चार्ट आंगनवाडी कक्ष से दूरी पर स्थित अन्य किसी कक्ष अथवा बरामदे में संस्थापित नहीं किये जाने हैं, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा जावे।
4. चार्ट्स की निर्धारित विषय–वस्तु के अनुसार फोटोग्राफ का कलर थोड़ा गहरा, Sharp & Clear रखा जावे, जिससे बच्चे ठीक प्रकार से अधिगम कर पाऐं।
5. डिजिटल वॉल पेण्टिंग की पेस्टिंग की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे, जिससे चार्ट्स एक बार चस्पा होने के उपरान्त दीवार से निकले अथवा फटे नहीं।

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

6. आपको प्रदत्त कार्यादेश की शर्त की अनुपालना में एबीएल कक्ष में लगाये जाने वाले डिजिटल वॉल पेण्टिंग मीडिया के इको फ्रेंडली होने तथा निर्धारित मानदण्डानुसार होने के संदर्भ में सामग्री–निर्माता द्वारा दिया गया केन्द्र अथवा राज्य की सरकारी जांच प्रयोगशाला द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र परिषद् कार्यालय को अविलम्ब प्रस्तुत करें।
7. वॉल पेण्टिंग मुद्रण एवं फ्लैक्स निर्माण के पश्चात जिलों में सामग्री प्रेषित करने से पूर्व, प्रेषण पूर्व निरीक्षण हेतु परिषद को लिखित में सूचित करें।

(एम. आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप, जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राजस्कूलशिप, जयपुर।
5. उपायुक्त–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ संबंधित विद्यालयों के आंगनबाडी केन्द्रों पर एबीएल रूम विकास के दौरान उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु संबंधी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त–प्रथम

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner